

कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी (म.प्र.)

:: केन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग के कक्ष कमांक एस-6 में स्थित कैन्टीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी के कार्यालय अनुभाग में उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं/ व्यक्तियों/ कंपनियां अपना निविदा फार्म 250/- रुपये नगद कार्यालय में जमा कर अथवा डीडी के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में कार्यालयीन समय पर आवंक/जावक शाखा में जमा कर सकते हैं, उपरोक्त निविदायें दिनांक 16.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 को शाम 5.00 बजे तक भरकर कार्यालय में जमा किया जाना है। प्राप्त निविदायें दिनांक 05.08.2020 को निविदाकार्ता/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 02.00 बजे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा फार्म, विक्रय की जाने वाले सामग्री की सूची, निविदा की शर्तों एवं संपूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय डिण्डौरी की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/dindori पर भी उपलब्ध है, जहां से उपरोक्त निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाकर्ता के द्वारा डाउनलोड निविदा फार्म भरकर सील बंद लिफाफे में जिला न्यायाधीश डिण्डौरी को देय 250/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला एवं  न्यायाधीश
डिण्डौरी म.प्र.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

केंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म:-

प्रथम पक्ष :— निविदाकर्ता का नाम.....
पिता का नाम
पता:—.....
.....
मोबाईल नं0
ई—मेल आईडी
प्रस्तावित अनुबंध राशि

अनुज्ञाप्तिदाता :— जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी।

केंटीन संचालन का स्थान — नवीन जिला न्यायालय भवन डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग के कक्ष क्रमांक एस—6 |
—000000—

नोट:- कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) डिण्डौरी संभाग डिण्डौरी के पत्र क्रमांक 1194/तकनीकी/2020-21 डिण्डौरी दिनांक 10.07.2020 के अनुसार नवीन जिला न्यायालय भवन डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग के कक्ष क्रमांक एस—6 के 203.13 वर्ग मीटर में वाशरूम, स्टोर रूम, किचन एवं गैलरी सहित स्थित केंटीन का किराया 19800/-रुपये (उन्नीस हजार ओं सौ रुपये) प्रतिमाह एवं 237600/-रुपये (दो लाख सैतीस हजार छः सौ रुपये) प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया। जिला न्यायालय परिसर, डिण्डौरी में स्थित केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निम्न निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

निविदा के नियम एवं शर्तें

01. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 16.07.2020 से 31.07.2020 को सायं 5:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
02. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में कैंटीन संचालन किया हो, उक्त अनुभव आदि की समिति के द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।
03. समिति के द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने / विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों / न्यायालयीन कर्मचारियों / पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा तथा उनकी निविदा पर कैंटीन समिति के द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।
04. अनुज्ञप्तिधारक एवं अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये संपादित किया जाएगा, अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पहले संविदा को छोड़ने पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अनुज्ञप्तिदाता को शांतिपूर्ण रूप से कैंटीन का खाली कब्जा उसी हालत में, जिस हालत में उसे अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रदान किया गया था, सामान्य टूट-फूट के अध्याधीन रहते हुये, सौंपा जाएगा।
05. अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कैंटीन समिति की अनुशासा पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है उस राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त जमा करना होगा और प्रतिमाह के किराये में भी 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया भुगतान करना होगा।
06. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि अनुज्ञप्तिधारक पुनः कैंटीन को अनुबंध में प्राप्त करना चाहता है तो वह नीलामी प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक कैंटीन नवीन अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत बढ़ाकर अपने अनुबंध को आगे की अवधि तक के लिये जारी रख सकेगा।

07. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये 25000/- (पच्चीस हजार रूपये/-) की जमानत राशि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
08. सफल निविदाकर्ता की उक्त जमानत राशि अनुज्ञप्तिधारक और जिला रजिस्ट्रार डिण्डौरी के नाम से संयुक्त बैंक एफ.डी. अमानत के रूप में रखी जायेगी और अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर कैंटीन समिति की अनुशासा पर सम्पृष्ठत की जायेगी।
09. सफल निविदाकर्ता/अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारक को वापस की जावेगी और एफ.डी.आर. पर अर्जित बैंक ब्याज अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
10. कैंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग डिण्डौरी के द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया के आधार पर 237600/- (दो लाख सौ तीस हजार छः सौ रुपये) की न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है, जिस निविदाकर्ता के द्वारा अधिकतम अनुज्ञा शुल्क प्रस्तावित किया जावेगा एवं निविदा फार्म के साथ संलग्न सूची में वर्णित विक्रय के लिए प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की विक्रय कीमत कम होगी, अन्य शर्तों के अधीन उसकी निविदा स्वीकार की जावेगी।
11. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसके द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने पर जमा करना होगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारक को कैंटीन संचालन हेतु रोक दिया जायेगा अथवा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अनुज्ञप्तिदाता को होगा।
12. सफल निविदाकर्ता/अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन कराकर पंजीयन करायेगा।
13. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर वास्तविक दरों के अनुसार निर्धारित अवधि के विद्युत देयक का भुगतान करेगा।

14. अनुज्ञप्तिदाता अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिदाता से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी एवं जल संयोजन का व्यय अनुज्ञप्तिधारक को ही वहन करना होगा।
15. कैटीन दुकान के संचालन के लिये अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा ही मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेगा तथा इस रख रखाव में हुये व्यय का वहन भी अनुज्ञप्तिधारक का ही होगा।
16. अनुज्ञप्तिधारक कैटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद्/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।
17. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर अनुज्ञप्तिदाता से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।
18. निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामग्रियों के अलावा कैटीन संचालक /अनुज्ञप्तिधारक केंटीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से निर्धारित दर पर या उससे न्यूनतम दर पर ही विक्रय कर सकेगा।
19. अनुज्ञप्तिधारक अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामग्रीयों की सूची में नहीं है और वह खाद्य सामग्री को विक्रय करना चाहता है तो खाद्य सामग्री का मूल्य जिला न्यायाधीश के द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदन किये जाने के उपरांत वह विक्रय कर सकेगा।
20. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैटीन परिसर में सदृश्य भांग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी अनुज्ञप्तिधारक का होगा।
21. माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश के द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्त किया जा सकेगा, जिसका अनुज्ञप्तिधारक को पालन करना अनिवार्य होगा।
22. कैटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा किया जावेगा, जिनका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

23. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाप्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन कराकर पंजीयन करायेगा।
24. कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारक को उसके द्वारा जमा की गई कोई भी राशि नहीं लौटाई जावेगी और कैंटीन का कब्जा ले लिया जावेगा।
25. अनुबंध की शर्तों का अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
26. समय—समय पर अनुज्ञप्तिदाता या कैंटीन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के द्वारा कैंटीन का निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला न्यायाधीश डिप्डॉरी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
27. अनुज्ञप्तिधारक ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
28. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारक के विरुद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
29. अनुज्ञप्तिधारक या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
30. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय—समय पर अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

31. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैटीन संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जोकि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्तु कारणों से यदि अनुज्ञप्तिदाता अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो अनुज्ञप्तिधारक अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।
32. अनुज्ञप्तिधारक को दुकान से लगे हुए खुले स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा और वह कैटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रति दिवस 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये) की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
33. अनुज्ञप्तिधारक अनावश्यक रूप से कैटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा 1000/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
34. कैटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में अनुज्ञप्तिदाता का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
35. कैटीन जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का अनुज्ञप्तिधारक को पूर्ण पालन करना होगा।
36. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैटीन परिसर में स्वयं के व्यय पर कलर, पेट एवं मरम्मत आदि का कार्य समय—समय पर कराया जावेगा।
37. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
38. अनुज्ञप्तिधारक कैटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
39. कैटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूमपान/पान/तम्बाकू/बीड़ी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

40. निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

नोट:- निविदा दिनांक 05.08.2020 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ता /प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय डिप्टीरी में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारणों से उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

“ मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है । ”

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पिता का नाम.....

पता:-

फोन नंबर/मोबाइल नंबर.....

ई-मेल आईडी

संलग्न:- 01. केंटीन संचालन हेतु दर की सूची ।

केंटीन संचालन हेतु विक्रय की जाने वाली सामग्रियाँ एवं निविदाकर्ता के
द्वारा प्रस्तावित दरें

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा/तादात	कीमत	रिमार्क
1.	चाय	प्रति कप 75 मि.ली.		
2.	काफी	प्रति कप 75 मि.ली.		
3.	आलूबंडा	प्रति नग 75 ग्राम		
4.	समोसा एवं भाजीबड़ा	प्रति नग 75 ग्राम		
5.	कचोरी	प्रति नग 75 ग्राम		
6.	इडली / सांभर	2 नग प्रति नग वजन 60 ग्राम		
7.	पोहा	प्रति प्लेट 150 ग्राम		
8.	भजिया	प्रति प्लेट 100 ग्राम		
9.	जलेबी	प्रति प्लेट 100 ग्राम		
10.	मंगोड़ी	प्रति प्लेट 100 ग्राम		
11.	बालूशाही	प्रति नग 80 ग्राम		
12.	बूंदी का लड्डू	प्रति नग 60 ग्राम		
13.	मगज का लड्डू	प्रति नग 60 ग्राम		
14.	गुलाब जामुन	प्रति नग 80 ग्राम		
15	दोपहर का भोजन एक सब्जी दाल चावल रोटी चार	प्रति थाली खाद्य सामग्री का कुल वजन 500 ग्राम		
16	सब्जी एक 6 पूँडी	प्रति पैकेट 200 ग्राम		
17	लंस्सी	प्रति गिलास 200 ग्राम		
18	सलोनी	60 ग्राम		
19	बूंदी	60 ग्राम		
20	रसगुल्ला	प्रतिनग 80 ग्राम		
21	छाछ	प्रति गिलास 200 मि.ली.		

22	पानी बॉटल	कमशः एक लीटर, 500 मि.ली., 200 मि.ली.		
23	खोवा जलेबी	प्रति नग 100 ग्राम		
24	डोसा सांभर एवं चटनी	1 नग 200 ग्राम		
25	छोले भटुरे	एक प्लेट दो भटुरे एवं छोले		
26.	दही बड़ा	प्रति नग 60 ग्राम		
27	सांभर बड़ा	2 नग बड़ा एवं सांभर 60 ग्राम		
28	1 समोसा सहित मटर	प्रति प्लेट 150 ग्राम		

नोट:- निविदाकर्ता के द्वारा उपरोक्त सामाग्री की दर आवश्यक रूप से भरा जाकर सत्यापन स्वरूप हस्ताक्षर एवं नाम पता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम

.....

पता:-

// मध्यस्थता //

1. संविदा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में सभी प्रश्न व विवाद, कार्य की गुणवत्ता, प्रयोग किये जाने वाली सामग्री, संविदा से संबंधित अथवा उत्पन्न हो रहे कोई अन्य प्रश्न, अधिकार, दावा, निर्देश, आदेश या उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में या अन्यथा कार्य से संबंधित, या उस कार्य का सम्पादन अथवा उसमें विफल होना, जो कि कार्य की प्रगति के दौरान या कार्य समाप्ति या उसे त्याग देने पश्चात् उत्पन्न हुये हों, एकमात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किये जायेंगे, जो कि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
2. मध्यस्थ के द्वारा किसी विवाद या मामले के संबंध में उसके कर्तव्यों के अनुक्रम में दिये गये सुझाव या राय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं ली जावेगी, यदि संबंधित विवाद जो कि संविदा से संबंधित है।
3. वह मध्यस्थ जिसे प्रारंभ में कोई मामला रिफर किया गया था यदि स्थानांतरित हो जाता है या पद रिक्त हो जाता है, या किसी अन्य कारण से वह काम नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में अनुज्ञाप्तिदाता जिसके द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, किसी अन्य व्यक्ति को संविदा के शर्तों के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति रिफर किये गये मामले में उसी प्रक्रम से कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगें, जिस प्रक्रम पर रिफर किया गया मामला भूतपूर्व मध्यस्थ के द्वारा छोड़ा गया था।
4. यह भी संविदा की एक शर्त होगी कि, पूर्वोक्त अनुज्ञाप्तिदाता के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, यदि अनुज्ञाप्तिदाता के द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया जाना संभव नहीं है, तब वह मामला मध्यस्थ को रिफर नहीं किया जा सकेगा।

अनुज्ञाप्ति धारक का नाम

पता

फोन.नम्बर

ई-मेल

संविदा

(ई-स्टेम्प कोड.....)

यह संविदा दिनांक को जिला न्यायाधीश डिण्डौरी जिन्हें एतस्मिन पश्चात् जिला न्यायाधीश के नाम से तथा जब तक अन्यथा प्रतिकूल उपबंधित न कर दिया जाये, तब तक उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी, जो कि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के हैसियत से कार्य करते हैं जिन्हे एतस्मिन पश्चात् “अनुज्ञप्तिदाता” के नाम से संबोधित किया जावेगा तथा जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जावेगें जो प्रथम पक्ष के रूप में होंगे।

और

(अभिकरण / अनुज्ञप्ति

धारक का नाम तथा पता एवं उसके प्रतिनिधि का नाम तथा पद) जिसे एतस्मिन पश्चात् सर्विस प्रोवाईडर के नाम से संबोधित किया जावेगा, जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जायेगें, जो द्वितीय पक्ष के रूप में होंगे।

जहां अनुज्ञप्तिदाता का आशय यह है कि नवीन न्यायालय भवन जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग में कैटीन संचालित किया जावें, जहां सर्विस प्रोवाईडर ने स्वेच्छा से अपनी सहमति इस हेतु संविदा के उपबंधों के अनुरूप दी है और जहां अनुज्ञप्तिदाता ने मूल्य व दर संविदा के शर्तों के अनुरूप तय किये हैं, के मध्य समझी जावेगी।

निम्नलिखित दस्तावेज इस संविदा का भाग माने, पढ़े व समझे जावेगें।

- a. निविदा प्रारूप (तकनीकी व वित्तीय) और कीमत सूची जो कि अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा जमा की जावेगी।
- b. सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज।
- c. स्पष्टीकरण जो कि इस संबंध में जारी किये गये हैं।
- d. सर्विस प्रोवाईडर के मध्यस्थ की अधिसूचना।
- e. सहमति पत्र।
- f. सम्पूर्ण पत्राचार जो इस संबंध में किये गये हों।

अब यह संविदा :-

1. संविदा में सम्मिलित नियम व शर्तें संविदा का भाग पढ़ी व समझी जायेगी।
2. सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जिला न्यायालय को किये गये भुगतान के एवज में सर्विस प्रोवाइडर जिला न्यायालय डिण्डौरी को "कैटीन" की सेवाएं प्रदान करने और संविदा के नियम एवं शर्तों के अनुरूप आवश्यक शुल्क और रकम का भुगतान करने के लिए सहमत है।
3. यह कि उस परिस्थिति में जहां कोई विवाद उत्पन्न होता है तब ऐसा विवाद संविदा के नियम व शर्तों के अनुरूप निराकृत किया जावेगा।
4. अनुज्ञाप्तिधारक अनुबंध निष्पादन से 6 माह पूर्ण होने पर अधिकतम अनुज्ञा शुल्क का शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करेगा।
5. यह संविदा दिनांक से तक प्रवृत्त रहेगी, जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकार उनकी सामान्य सील चस्पा करेंगे।

अनुज्ञाप्तिधारक / प्रतिनिधि का नाम व पता
.....

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

निम्नांकित साक्षियों का उपस्थिति में :-

साक्षी

1. नाम
पता
2. नाम
पता

साक्षी

1. नाम
पता
2. नाम
पता

